न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 04 / 2020 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2020/ 00004)

ग्राम पंचायत बिसरासर, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बिसरासर पंचायत समिति रावतसर, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट, जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर, तहसील रावतसर।
2. उपवन संरक्षक ई.गा.न.पं. हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।

रेस्पोर्डेंट्स

उपस्थितः 1. श्री राजकुमार व्यास – अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय **दिनांकः 07.10.2025**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 15.12.99 के विरूद्व पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने जिला कलक्टर हनुमानागढ के आदेश दिनांक 15.12.99 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 15.12.99 व इस आदेश के अनुसरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा गोचर भूमि में से खसरा नम्बर 92 की 29 बीधा व खसरा नम्बर 136 की 52 बीधा 14 बिस्वा को वन विभाग के नाम दर्ज किये जाने की सीमा तक अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को जरिये नोटिस सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे एवं प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित किया कि अपील जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 15.12.99 के विरूद्व पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.99 के अनुसरण में रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने आदेश क्रमांक भू. अ. /99/ दिनांक 04.01.2000 पारित किया तथा इस

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आदेश के अनुसरण मे पटवारी हल्का बिसरासर 251 बीधा 14 बिस्वा गोंचर भूमि वन विभाग के नाम जरिये इंतकाल सं. 1784 दिनांक 03.07.2000 को दर्ज कर दिया। इस 251 बीधा 14 बिस्वा भूमि में खसरा नं. 92 की 29 बीधा व खसरा नं. 136 की 52 बीधा 14 बिस्वा भी सम्मिलित है। अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश के अनुसरण में खसरा नं. 92 की 29 बीधा व खसरा नं. 136 की 52 बीधा 14 बिस्वा गोचर भूमि वन विभाग को देने तक व्यथित है। इस आबादी क्षेत्र के चिपते उत्तरी तरफ मुरण्य सड़क पल्लू सरदारशहर के पूर्वी तरफ खसरा नं. 92 की 29 बीधा व पश्चिम की तरफ खसरा नं. 136 की 52 बीधा 14 बिस्वा भूमि गोचर भूमि हैं। जिसे नक्शा में नीलेरंग से दर्शाया गया है। उक्त दोनो खसरो की गोचर भूमि गांव बिसरासर की आबादी भूमि के चिपते हुए होने के कारण चारागह के रूप मे उपयोग आ रही है। उन दोनो खसरो की गोचर भूमि वन विभाग के नाम करने से पहले ना तो मौका की भौतिक स्थिति का अवलोकन किया गया व ना ही अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। गांव बिसरासर का आबादी क्षेत्र कम होने के कारण उक्त गोचर भूमि में बिसरासर के लोग आबाद है। गांव बिसरासर में नसबंदी शिविर लगने के कारण जिन लोगो ने नसबंदी करवाई उन्हे निशुल्क पट्टा देने का आदेश तत्कालीन जिला कलेक्टर ने दिया। आबादी क्षेत्र में खाली भूखण्ड नही होने से तत्कालीन कलक्टर ने गोचर भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव भी मांगे गये। ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव सं. 6 दिनांक 24.1.87 पारित कर उक्त दोनो खसरो में जिसमे 50–60 घर आबाद थे, की आबादी भूमि में परिवर्तित करने हेतु तत्कालीन कलेक्टर श्रीगंगानगर को प्रस्ताव भेजा था, खसरा नं. 92 में 29 बीधा भूमि में इन्दिरा आवास परियोजना के अन्तर्गत हरिजन कॉलोनी बनाये जाने का भी प्रस्ताव भी पारित हुआ था। पंचायत समिति नोहर ने बजट तैयार कर मौका पर लगभग 14 आवासीय मकान भी बनायें जो मौका पर अधूरे निमित है। इस कॉलोनी के चिपते पूर्वी तरफ 80 गुणा 40 वर्गगज भूखण्ड शिवबाड़ी हेतु आरक्षित किया गया था, जिसे वर्तमान में गऊशाला संचालित हो रही है। गांव बिसरासर की आबादी विकसित होने एवं उक्त गोचर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

भूमि की भौतिक स्थिति तब्दील होने के कारण उक्त गोचर भूमि को वन विभाग को अंतरित करने का निर्णय होने से गांव का विकास अवरूद हो जाएगा तथा सैकड़ो व्यक्ति बैधर हो जाएगे। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व जिला कलक्टर हनुमानगढ ने रेकार्ड का सही तरह से अवलोकन नही किया, राजस्व रेकार्ड के अनुसार तहसीलदार अथवा हल्का पटवारी से कोई रिपोर्ट प्राप्त नही की गई। अपीलाधीन आदेश Speaking -order की परिभाषा में नही आता है। रेकार्ड व मौके की स्थिति के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.99 व इस आदेश के अनुसरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा गोचर भूमि मे से खसरा 92 की 29 बीधा व खसरा नं. 136 की 52 बीधा 14 बिस्वा को वन विभाग के नाम दर्ज किये जाने की सीमा तक अपास्त फरमाया जावें।

5. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील जिला कलक्टर हनुमानागढ के आदेश दिनांक 15.12.99 के विरूद्व पेश की गई है जिसमें आरक्षित भूमि वन विभाग के नाम की गई है। वन विभाग की भूमिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संरक्षित है, जिसमें परिर्वतन नही किया जा सकता है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.99 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर